

15.12.23

पत्रावली पेश हुई।

उत्तमपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली वास्ते उत्तमपक्ष अधिवक्ता एवं पत्रकारान् को उपस्थिति हेतु इतिमि इन्वॉल्ट दिनांक 18.12.23 को पेश वें।

२५  
सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

18.12.23

बार अधिवक्ता शर्मा, बाड़मेर के रेफरेंस पर होने से इत्बा होकर पत्रावली दिनांक 20.12.23 को पेश वें।

२५  
सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

20.12.23

पत्रावली पेश हुई।

उत्तमपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली में प्रभावी फेरवी हेतु उत्तमपक्ष अधिवक्ता एवं पत्रकारान् को जमानालय सभ्य में रुक-रुककर आवाजे लगाई जाने के बावजूद कोई उपस्थिति नहीं।

चूंकि पत्रावली पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से जवाब की स्टेज पर लम्बित है तथा कोई प्रभावी फेरवी व कार्रवाई नहीं हुई है एवं अधिवक्तागण भी अनुपस्थित रहे हैं।

अतः पत्रावली में कोई प्रभावी फेरवी नहीं होने तथा अधिवक्तागण के अनुपस्थित रहने पर उत्तमपक्ष को इसी स्टेज पर अदम फेरवी में खारिज किया जाता है। साथ ही पूर्व में जारी अध्यादेश निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है।

पत्रावली राखिल इफ्तार वें। २५

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

